रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 208] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 22, 1976/आषाढ़ 1, 1898
No. 208] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 22, 1976/ASADHA 1, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 22nd June 1976

G.S.R. 416(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Punjab, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Twelfth Amendment Regulations, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading "Punjab" and the entries occuring thereunder, the following shall be substituted, namely:—

"PUNJAB

1. Senior posts under the State Government	70
Chief Secretary to Government	1
Financial Commissioner, Revenue	1
Financial Commissioner, Taxation	1
Commissioners of Divisions	3

Excise and Taxation Commissioner	1
Secretaries to Government of Commissioner's Rank	5
Other Secretaries to Government	4
Additional/Joint Secretaries to Government	5
Deputy Secretaries to Government	17
Secretary to Governor	1
Principal Secretary to Chief Minister	1
Director of Information and Publicity, Tourism, Cultural Affairs and Removal of Grievances.	1
Director of Consolidation, Colonization and Land Acquisition	1
State Transport Commissioner	1
Director, State Transport	1
Registrar, Cooperative Societies	1
Director of Industries and Industrial Training	1
Director of Panchati Raj and Community Development	1
Inquiry Officer, Vigilance	1
Director of Land Records and Settlement	1
Director, Local Government	1
Director, Food and Civil Supplies	1
Labour Commissioner and Director of Employment	1
Joint Director, Industries (Administration)	1
Additional Registrar, Cooperative Societies	1
Joint Excise and Taxation Commissioner	1
Deputy Commissioners	12
Additional Deputy Commissioners	3
	70
2. Central deputation Reserve @ 40 per cent of 1 above	28
	98
3. Posts to be filled by promotion or selection in accordance with rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 @ 25 per cent of 1 plus 2 above.	24
4. Posts to be filled by Director Recruitment 1 plus 2 minus 3 above.	74
5. Deputation Reserve @ 20 per cent of 4 above.	26 *
6. Leave Reserve @ 5 per cent of 4 above.	4
7. Junior posts @ 20.60 per cent of 4 above.	15
8. Training Reserve @ 10.59 per cent of 4 above.	8
Director Recruitment Posts	127
Promotion Posts	24
Total Authorised Strength	151

* Includes the following 11 posts in excess of 20 per cent:—

1. Executive Director, Punjab Scheduled Castes Land Development and Finance Corporation.
2. Managing Director, Punjab State Industrial Development Corporation.
3. Managing Director, Punjab State Cooperative Supply and Marketing Federation.
4. Managing Director, Punjab State Small Industries Corporation.
5. Managing Director, Punjab State Warehousing Corporation.
6. Managing Director, Punjab Agro Industries Corporation.
7. Deputy Secretary, Finance, Chandigarh Administration.

8. One post on account of proceeding on deputation of Shri T. K. A. Nair, with the Government of Kerala.

9. One post on account of proceeding on deputation of Shri S. K. Sudhakar with the Government of Manipur.

10. Finance Secretary, Chandigarh Administration.

11. One post on account of proceeding on deputation of Shrimati S. Mann, with the Government of Haryana.

N.B.—Total authorised Cadre Strength of Punjab prior to the revised composition and strength as given in the above notification was 138.

[No. 11031/7/76-AIS(II)-A]

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 22 जून, 1976

सा० का० नि० 416(अ).—भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 4 के उप नियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार पंजाब सरकार के परामर्श से, भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) नियम, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1 (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) बारहवां संशोधन नियम, 1976 है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) नियम, 1955 की अनुसूची में "पंजाब" शीर्षक तथा उसके अन्तर्गत दी गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"पंजाब

1	राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद	70
	सरकार के मुख्य सचिव	1
	वित्त आयुक्त राजस्व	1
	विकास आयुक्त कराधान	1
	प्रमण्डलों के आयुक्त	3
	आबकारी तथा कराधान आयुक्त	1
	आयुक्त के रैंक के सरकार के सचिव	5
	सरकार के अन्य सचिव	4
	सरकार के अपर/संयुक्त सचिव	5
	सरकार के उप सचिव	17
	राज्यपाल के सचिव	1
	मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव	1
	निदेशक सूचना तथा प्रचार	
	पर्यटन, सांस्कृतिक कार्य तथा शिकायत निवारण	1

	निदेशक चकबन्दी, कालोनी निर्माण तथा भू-अभिग्रहण	1
	राज्य परिवहन आयुक्त	1
	निदेशक, राज्य परिवहन	1
	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	1
	निदेशक, उद्योग तथा औद्योगिक प्रशिक्षण	1
	निदेशक, पंचायत तथा सामुदायिक विकास	1
	जांच अधिकारीसमकक्ष	1
	निदेशक, भू-अभिलेख तथा बन्दोबस्त	1
	निदेशक स्थानीय शासन	1
	निदेशक, स्वास्थ्य तथा सिविल पूर्ति	1
	श्रम आयुक्त तथा रोजगार कार्यालय	1
	संयुक्त निदेशक, उद्योग (प्रशासन)	1
	अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	1
	संयुक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्त	1
	उप आयुक्त	12
	अपर उप आयुक्त	3
		70
2	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 1 के 40 प्रतिशत के हिसाब से	28
		98
3	भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के अनुसार पदोन्नति तथा चयन द्वारा भरे जा सकने वाले पद उपर्युक्त (1) जमा (2) के 25 प्रतिशत के हिसाब से	24
4	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त (1) जमा (12) में से 3 घटाकर	74
5	प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 4 के 20 प्रतिशत के हिसाब से	26*
6	छुट्टी रिजर्व उपर्युक्त 4 के 5 प्रतिशत के हिसाब से	4
7	कनिष्ठ पद उपर्युक्त 4 के 20·60 प्रतिशत के हिसाब से	15
8	प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त 4 के 10.59 प्रतिशत के हिसाब से	8
	सीधी भर्ती वाले पद	127
	पदोन्नति वाले पद	24
	कुल अधिकृत संख्या	151

*20 प्रतिशत के अतिरिक्त निम्नलिखित 11 पद शामिल है ।

1 कार्यकारी निदेशक, पंजाब अनुसूचित जाति, भूमि विकास तथा वित्त निगम

2 प्रबंध निदेशक, पंजाब राज्य उद्योगिक विकास निगम

3 प्रबंध निदेशक, पंजाब राज्य पनबिजली पूर्ति तथा विद्युत संघ

4 प्रबंधक निदेशक, पंजाब राज्य लघु उद्योग निगम

5 प्रबंध निदेशक, पंजाब राज्य भण्डागार निगम

6 प्रबंध निदेशक, पंजाब कृषि उद्योग निगम

7 उप सचिव, वित्त, चण्डीगढ़ प्रशासन

8 श्री टी० के० ए० नयार के केरल सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाने के फलस्वरूप एक पद

9 श्री एस० के० सुधाकर के मणिपुर सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाने के फलस्वरूप एक पद

10 विशेष सचिव, चण्डीगढ़ प्रशासन

11 श्रीमती एस०मन के हरियाणा सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाने के फलस्वरूप एक पद

विशेष ध्यान दीजिए .—पंजाब संवर्ग की कुल अधिकृत पद संख्या उसके गठन तथा उसकी पद संख्या को संशोधित किये जाने से पूर्व जैसा कि उपर्युक्त अधिसूचना में दिया गया है, 138 थी ।

[सं० 11031/7/76-अ० भा० से० (II)-क]

G.S.R. 417(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with rule 11 of the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government in consultation with the Government of Punjab, hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Twelfth Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954,—

(a) In 'Schedule—III—A—Posts carrying pay above the time scale in the Indian Administrative Service under the State Governments' in the Table, for the entry "Punjab" occurring in the first column and the corresponding entries in the second and third columns, the following shall be substituted namely:—

"Punjab Chief Secretary to the Government	3,500
Financial Commissioner, Revenue	3,000
Financial Commissioner, Taxation	3,000
Commissioners of Divisions	2500—125/2—2750
Excise and Taxation Commissioner	2500—125/2—2750
Secretaries to Government of Commissioner's rank	2500—125/2—2750"

(b) In 'Schedule III-B Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Governments' (including posts carrying special pay in addition to pay in the time scale), in the Table, for the entry "Punjab" occurring in the first column and the corresponding entries in the second column, the following shall be substituted, namely:—

"Punjab Other Secretaries to Government

Additional/Joint Secretaries to Government

Deputy Secretaries to Government

Secretary to Governor

Principal Secretary to Chief Minister

Director of Information and Publicity, Tourism, Cultural Affairs and Removal of Grievances.

Director of Consolidation, Colonization and Land Acquisition.

State Transport Commissioner

Director, State Transport

Registrar, Cooperative Societies
Director of Industries and Industrial Training
Director of Panchati Raj and Community Development.
Inquiry Officer, Vigilance.
Director of Land Records and Settlement
Director, Local Government
Director, Food and Civil Supplies.
Labour Commissioner and Director of Employment.
Joint Director Industries (Administration).
Additional Registrar, Cooperative Societies.
Joint Excise and Taxation Commissioner.
Deputy Commissioners.
Additional Deputy Commissioners

[No. 11031/7/76-AIS(II)-B]

V. K. CHERIAN,
Desk Officer.

सा० का० नि० 417(ब).—भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार पंजाब सरकार के परामर्श से, भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम 1954 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) बारहवां संशोधन नियम 1976 है ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 में—

(क) "अनुसूची–III क में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा में समय वेतनमान से अधिक वेतन वाले पद"

शीर्षक के अधीन सारणी में पहले कालम में पायी जाने वाली प्रविष्टि "पंजाब" तथा दूसरे और तीसरे कालमों में तत्स्थानी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :—

"पंजाब

सरकार के मुख्य सचिव	3,500
वित्तीय आयुक्त, राजस्व	3,000
वित्तीय आयुक्त, कराधान	3,000
प्रमण्डल आयुक्त	2500–125/2–2750
उत्पाद शुल्क तथा कराधान आयुक्त	2500–125/2–27-50
आयुक्त के रैंक के सरकार के सचिव	2500–125/2–2750"

(ख) "अनुसूची–III-ख में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में वेतन लेने वाले पद (जिसमें समय वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले

पद शामिल है) शीर्षक के अधीन सारणी में पहले कालम में उल्लिखित प्रविष्टि "पंजाब" तथा दूसरे कालम में दी गई तत्स्थानी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् —

"पंजाब

सरकार के अन्य सचिव
सरकार के अपर/संयुक्त सचिव
सरकार के उप-सचिव
राज्य पाल के सचिव
मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव
निदेशक, सूचना तथा प्रचार, पर्यटन
सांस्कृतिक कार्य तथा शिकायत-निवारण
निदेशक, चकबन्दी, कालोनी-निर्माण तथा भू-प्रधिग्रहण
राज्य परिवहन आयुक्त
निदेशक, राज्य परिवहन
रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां
निदेशक, उद्योग तथा औद्योगिक प्रशिक्षण
निदेशक, पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास
जांच अधिकारी पाकैना
निदेशक, भू-प्रभिलेख तथा बन्दोबस्त
निदेशक, स्थानीय शासन
निदेशक, खाद्य तथा सिविल पूर्ति
श्रम आयुक्त तथा रोजगार निदेशक
संयुक्त निदेशक उद्योग (प्रशासन)
अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां
संयुक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्त
उप आयुक्त
अपर उप आयुक्त

[सं० 11031/7/76-प्र० भा० से० (II)-ख]

वी० के० चैरियन,
डेस्क अधिकारी

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976